5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

# माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

प्रकरण क /19 पुनर्विलोकन आवेदन

पुनर्विलोकन-0252/2019/ग्वालियर/भू.रा.सं.

1. बलवन्त सिंह पुत्र जहार सिंह
2. सरदार सिंह पुत्र बलवन्त सिंह

निवासीगण ग्राम सिरोल,
तहसील व जिला ग्वालियर, म0प्र0

---आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
कलेक्टर ग्वालियर,
जिला ग्वालियर, म0प्र0

--------अनावेदक

**आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959**

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत हैः-

1. यह कि, ग्राम सिरोल तहसील ग्वालियर की कृषि भूमि सर्वे नंबर 35 रकवा 3 बिसवा, सर्वे नंबर 74 रकवा 9 बीघा 2 बिसवा, सर्वे नंबर 75 रकवा 2 बीघा 9 बिसवा, सर्वे नंबर 117 रकवा 3 बीघा 3 बिसवा एवं सर्वे नंबर 118 रकवा 1 बीघा 2 बिसवा कुल किता 5 कुल रकवा 15 बीघा 19 बिसवा भूमि का पट्टा आवेदकगण को सक्षम अधिकारी तहसीलदार ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1182/162/61 आदेश दिनांक 24.11.1961 द्वारा भूमि स्वामी स्वत्व का प्रदान किया गया था। (प्रदर्श P-1)

2. यह कि, आवेदकगण के पूर्वज पूर्व से ही उक्त भूमि पर कृषि कार्य करतें चले आ रहे थे एवं समय के साथ आवेदकगणों के पूर्वजों के पश्चात् आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा था। अतः आवेदकगण द्वारा वर्ष 1961 में सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन

प्रस्तुत कर उक्त भूमि पट्टे पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया था। उक्त के अनुकम में उपरोक्त उल्लिखित पट्टा सक्षम न्यायालय द्वारा मुनादि करवाकर एवं सभी संबंधित को सूचना जारी कर संपूर्ण प्रकिया का पालन कर प्रदान किया गया था। उक्त भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण के पूर्वजों का नाम पूर्व से ही इंद्राज रहा है। सम्वत् 1965 में रामप्रसाद सिंह बगैरा गूजर दर्ज है एवं सम्वत् 1992 में जहार सिंह बल्द रामप्रसाद दर्ज रहा है।( प्रदर्श P-2 ) प्रदर्श P-3

3. यह कि, नायब तहसीलदार द्वारा खसरा पंचशाला सम्वत् 2020 से 2024 में आवेदकगण का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर इंद्राज कर लगान रूपये 24/- स्थापित किया गया था।( प्रदर्श P-4 )

4. यह कि, कालांतर में उक्त उल्लिखित भूमि का इंद्राज खसरे में नोईयत सेड बेहड़ कदीम दर्ज कर दी गयी, जो कि उक्त भूमि की वास्तविक स्थिति के विपरीत थी। चूंकि आवेदकगण साधारण कृषक हैं, अतः वे अपने कृषि कार्य में संलिप्त रहें एवं उनकों खसरों के इंद्राज में परिवर्तन का ज्ञान नहीं हो पाया।

5. यह कि, जैसे ही आवेदकगण को इस तथ्य का ज्ञान हुआ कि उपरोक्त उल्लिखित भूमि जो कि उन्हें भूमिस्वामी स्वत्व पर प्राप्त हो चुकी है, के संबंध में राजस्व अभिलेख में गलत इंद्राज हो गया है, तब उनके द्वारा उक्त सर्वे कमांक 35, 74, 75, 117 व 118 के कुल रकवा 15 बीघा 19 बिसवा की प्रविष्टि शुद्ध करने हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 115, 116 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया।

6. यह कि, तहसीलदार नजूल ग्वालियर द्वारा आवेदकगण के आवेदन पर प्रकरण कमांक 244/93-94/बी 121 दर्ज कर विधिवत प्रकिया का पालन कर यह आदेशित किया गया कि सम्वत् 2020 से 2024 तक पूर्व से आवेदकगणों का नाम खसरे में दर्ज था परंतु अब दर्ज नहीं है। आवेदकगणों के कथन से भी सिद्ध होता है कि

आवेदकगण तीस वर्ष से उक्त भूमि पर खेती करते जोतते रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि राजस्व अभिलेख में पूर्व में ही अमल हो चुका था, अतः अब अमल की आवश्यकता नहीं है। अतः पटवारी अभिलेख में शुद्ध प्रविष्टि कायम करें।( प्रदर्श P-5 )

7. यह कि, आदेश दिनांक 28.02.95 के पारित हो जाने के पश्चात् भी राजस्व अभिलेख में संदर्भित भूमि की प्रविष्टि शुद्ध नहीं की गई। अतः आवेदकगण द्वारा विवश हो पुनः न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त आदेश का पालन अभिलेख में कराये जाने का निवेदन किया गया।

8. यह कि, आवेदकगण के आवेदन के अनुकम में न्यायालय अपर तहसीलदार वृत तीन (आ) मुरार में प्रकरण कमांक 2/98-99/अ-6-अ दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 28.10.2002 पारित कर यह आदेशित किया गया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अधीनस्थ स्टाफ द्वारा बिना किसी कारण के पालन न किया जाना गम्भीर आपत्तिजनक एवं अनियमित प्रकिया है। उनके द्वारा यह निर्देश दिया गया कि पारित आदेश का तत्काल अमल किया जावें।( प्रदर्श P-6 )

9. यह कि, आदेश दिनांक 28.10.2002 के पालन में खसरा वर्ष 2003-04 में आवेदकगण का नाम पुनः भूमिस्वामी स्वत्व पर इंद्राज किया गया। इस प्रकार सर्वे कमांक 35, 74, 75, 117 व 118 ग्राम सिरोल की कुल किता 5 कुल रकवा 15 बीघा 19 बिसवा भूमि पर आवेदकगण का नाम समान भाग पर पुनः भूमिस्वामी स्वत्व पर किया जाकर संयुक्त लगान 24/- रूपये स्थापित किया गया।( प्रदर्श P-7 )

10. यह कि, आदेश दिनांक 28.10.2002 को श्रीमान् न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5/2005-2006 में स्वमेव पुनरीक्षण में लिया जाकर नोटिस दिनांक 03.04.2006 से आवेदकगण को जारी किया जाकर यह आक्षेपित किया गया कि ग्राम सिरोल के

उपरोक्त सर्वे नंबर की कुल 15 बीघा 19 बिसवा भूमि जो राजस्व अभिलेख में शासकीय भूमि पर दर्ज थी, का कथित पट्टे के आधार पर जो अमल किया गया है, वह नियमानुसार नहीं है। तहसील ग्वालियर के दायरा रिकॉर्ड में आवेदकगण के नाम का पट्टा प्रकरण तथा दायरा रजिस्टर में आवेदकगण के नाम से प्रकरण अंकित न होना प्रथमदृष्ट्या संदिग्धता प्रकट करता है। अतः क्यों न अमल आदेश दिनांक 28.02.1995 एवं 28.10.2002 को निरस्त किया जावें।( प्रदर्श P-8 )

11. यह कि, आवेदकगण द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 03.04.2006 के अनुकम में दिनांक 18.07.2006 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। आवेदकगण द्वारा अपने प्रतिउत्तर में स्पष्ट उल्लेख किया कि प्रकरण कमांक 1182/162/61 में न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा पारित पट्टे बावत् आदेश, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण कमांक 244/93-94 में प्रस्तुत है, के तत्काल बाद मौके पर पट्टे की भूमि का वास्तविक आधिपत्य आवेदकगण को प्रदान कर दिया गया था एवं उसके तत्काल बाद सम्वत् 2020 में पट्टे के आदेश का अमल होकर आवेदकगण के नाम खसरे में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज कर दिये गये थे। इस संदर्भ में आवेदकगण द्वारा खसरा पंचशाला सम्वत् 2020 से 2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार पट्टे के आदेश के अमल के 43 वर्ष बाद सम्वत् 2063 में उक्त पट्टे की वैधानिकता पर प्रश्न चिह्न लगाना भू-राजस्व संहिता की शक्तियों का दुरुपयोग है।

12. यह कि, आवेदकगण द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया कि प्रकरण कमांक 244/93-94/ बी-121 तथा प्रकरण कमांक 2/98-99 के आदेश दिनांक 28.02.1995 एवं 28.10.2002 को पारित हुये भी कमशः 10 वर्ष एवं 4 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। अतः उक्त आदेशों का पुनर्विलोकन स्वमेव निगरानी में इस प्रकम पर नहीं किया जा सकता है।

13. यह कि, आवेदकगण द्वारा यह भी निवेदित किया गया कि उपरोक्त दोनों प्रकरण में की गयी कार्यवाही प्रकिया का पूर्णतः पालन कर सक्षम न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक तरीके से अभिलेख पर उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर आदेश पारित किये गये हैं। आवेदकगण द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि प्रकरण कमांक 1182/162/61 में पारित आदेश दिनांक 24.11.1961 का तहसील के दायरा रजिस्टर में उल्लेख न होने बावत् आधार पट्टा प्रदान किये जाने के 45 वर्ष बाद लिया जाना एवं उक्त के कारण अमल निरस्त किया जाना मनमाना एवं अवैधानिक है।

14. यह कि, आवेदकगण द्वारा अपने उत्तर में यह स्पष्ट किया गया कि नोटिस के द्वारा मूल दस्तावेज उत्तर के साथ प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है, जैसा कि प्रकरण कमांक 244/93-94/बी-121 के अभिलेख से स्पष्ट है। सन् 1994-95 में आवेदकगण ने मूल पट्टा एवं अन्य संबंधित लेखी प्रमाण मूलतः उक्त न्यायालय के समक्ष कथन दर्ज करवाते समय प्रस्तुत किये थे, जो कि उक्त न्यायालय द्वारा अवलोकन के पश्चात् आवेदकगण के अभिभाषक को वापिस नहीं किये गये हैं। अतः सभी मूल दस्तावेज उक्त न्यायालय में आज भी उपलब्ध होंगे।

15. यह कि, राजस्व अभिलेख में संदर्भित भूमि सेडा बेहड़ चरनोई त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्ज की गयी थी क्योंकि इसके पूर्व उसी शासकीय राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि 40-45 वर्ष से कृषि भूमि दर्ज हो आवेदकगण के पूर्वज व आवेदकगण द्वारा फसल उगाना अंकित रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि बाद में उक्त भूमि की नोईयत त्रुटिपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर दी गयी जो कि वस्तुतः मौके की स्थिति के विपरीत है।

16. यह कि, श्रीमान् न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा आवेदकगण के प्रतिउत्तर पर विचार न किया जाकर आदेश दिनांक 22.06.2007 पारित किया गया जिसके द्वारा आदेश दिनांक 28.02.1995 एवं 28.10.2002 को निरस्त कर दिया गया। श्रीमान् कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त

आदेश पारित करते समय मुख्यतः यह विचार में लिया गया कि प्रकरण कमांक 1182/162/61 के आदेश दिनांक 24.11.1961 का तहसील के दायरा रजिस्टर में उल्लेख नहीं है। ( प्रदर्श P-9 )

17. यह कि, आवेदकगण द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय के आदेश से व्यथित हो श्रीमान् न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 1266/पी.बी. आर.-2007 प्रस्तुत की गई जिसका निराकरण श्रीमान् द्वारा आदेश दिनांक 21.11.2011 से करते हुये निगरानी निरस्त कर दी गयी। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निगरानी निरस्त किये जाने का मुख्य आधार यही दिया गया है कि प्रकरण कमांक 1182/162/61 में आवेदकगण का नाम नहीं होने से पट्टे को संदिग्ध माना गया।( प्रदर्श P-10 )

18. यह कि, आवेदकगण का विनम्र निवेदन है कि श्रीमान् कलेक्टर महोदय द्वारा एवं श्रीमान् न्यायालय द्वारा मुख्यतः इस आधार पर आवेदकगण के नामों के अमल को राजस्व अभिलेख में निरस्त किया गया है कि प्रकरण कमांक 1182/162/61 में आवेदकगण का नाम तहसीलदार दायरा पंजी में नहीं है।

19. यह कि, आवेदकगण द्वारा रजिस्ट्रेशन पंजी (दायरा पंजी) ग्राम सिरोल में संबंधित प्रकरण कमांक 1182/162/61 के संबंध में जानकारी लिये जाने के पश्चात् संबंधित पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गयी है, जिसमें कि उक्त प्रकरण कमांक 1182/162/61 ग्राम सिरोल बंदोबस्त कमांक 392 के कमांक 905 में आवेदकगण के नामों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह तथ्य श्रीमान् न्यायालय एवं श्रीमान् कलेक्टर महोदय के प्रकरण के विचारण के समय दृष्टि ओझल हो गया है। अतः आवेदकगण के विरूद्ध पारित आदेश का मुख्य आधार ही त्रुटिपूर्ण होने से वर्तमान प्रकरण पुनर्विलोकन में लिया जाना आवश्यक हुआ है।( प्रदर्श P-11 )

अतः वर्तमान पुनर्विलोकन आवेदन निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत हैः-

1. यह कि, श्रीमान् कलेक्टर महोदय द्वारा एवं माननीय न्यायालय द्वारा परिसीमा के बिंदु को गौड़ मानते हुये आदेश दिनांक 22.06.2007 एवं 21.11.2011 आवेदकगण के विरूद्ध पारित किये गये हैं। निवेदन है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 53 के तहत उक्त संहिता में अंतर्विष्ट किसी अभिव्यक्त उपबंध के अध्यधीन रहते हुये परिसीमा अधिनियम के उपबंध उक्त संहिता के अधीन समस्त अपीलों तथा पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण हेतु समस्त आवेदनों पर लागू होंगे। अतः स्पष्ट है कि किसी भी प्रकरण के पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन हेतु परिसीमन अधिनियम को विचार में लिया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में आदेश दिनांक 24.11.1961 को अवैध मानते हुये आदेश दिनांक 28.02.1995 एवं 28.10.2002 को वर्ष 2006 में निरस्त किया गया है, जो कि परिसीमा अधिनियम के उपबंधों से बाधित है।

2. यह कि आदेश दिनांक 28.02.1995 एवं 28.10.2002 को निरस्त किये जाने का मुख्य आधार यह रहा है कि आवेदकगण का नाम प्रकरण कमांक 1182/162/61 में अंकित नहीं है। श्रीमान् न्यायालय कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2007 एवं श्रीमान् का आदेश दिनांक 21.11.2011 पारित किये जाते समय उक्त आधार को पूर्णतः त्रुटिपूर्ण ढंग से विचार में लिया गया है। वास्तव में आवेदकगण का नाम उक्त प्रकरण में सरल कमांक 905 पर स्पष्ट रूप से दर्ज है। अतः अमल निरस्त किये जाने का मुख्य आधार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस कारण भी वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 21.11.2011 को वापिस लिया जाना न्यायोचित होगा।

3. यह कि, जहॉ तक संदर्भित भूमि की नोईयत सेडा बेहड़ एवं कदीम दर्ज होने का प्रश्न है, उक्त नोईयत मौके की स्थिति के हिसाब से पूर्णतः गलत है। पिछले 40-45 वर्ष

से उक्त भूमि कृषि हेतु एवं आवेदकगण एवं उनके पूर्वजों द्वारा फसल उगाने हेतु राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही है। अतः उक्त प्रविष्टि पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, जिसके आधार पर आवेदकगण को वर्ष 1961 में प्रदान पट्टे को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

4. यह कि, जहॉ तक मूल पट्टे का प्रश्न है उक्त की जानकारी श्रीमान् द्वारा न्यायालय अपर तहसीलदार ग्वालियर के द्वारा प्रकरण कमांक 244/93-94/बी-121 के अभिलेख से भलीभॉति ली जा सकती थी।

## प्रार्थना

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदकगण का पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें एवं निगरानी प्रकरण कमांक 1266-पी.बी.आर./07 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2011 वापिस लिया जाकर प्रकरण कमांक 5/2005-06/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.06.2007 निरस्त करने की कृपा करें एवं आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में यथावत स्थापित किये जाने का निर्देश देने की कृपा करें।

आवेदकगण

दिनांकः

द्वारा अभिभाषक

(राजकुमार तिवारी)
एडवोकेट

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 0252/2019/ग्वालियर/भू0रा0

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1-5-2019 | पुनर्विलोकन की ग्राह्यता पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया । आवेदक अभिभाषक के द्वारा अवगत कराया गया कि इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में पारित आदेश के उपरांत उसके द्वारा निरन्तर कलेक्टर कार्यालय में पुराने अभिलेखों की तलाश की जाती रही है तथा उक्त तलाश के फलस्वरूप उसको वर्ष 1961 में उसे जारी पट्टे से संबंधित प्रकरण की प्रविष्टि रिकार्ड रूम की अभिलेख पंजी पर होना ज्ञात हुआ है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने से निर्धारित समयावधि में यह पुनर्विलोकन पेश किया गया है । संबंधित सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । प्रथमदृष्टया प्रकरण में नये प्रमाण को देखते हुये तथा आवेदक के इस तर्क को मानते हुये की उसे उक्त प्रमाण की तलाश में समय लगा, यह पुनर्विलोकन समयावधि में ग्राह्य किया जाता है ।<br>2/ प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकों को सुना गया । प्रकरण संक्षेप में यह है कि आवेदक को वर्ष 1961 में प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ था, जिसकी तत्समय भू-अभिलेखों में प्रविष्टि हुई थी । कालान्तर में भू-अभिलेखों में उसका नाम अज्ञात कारणों से हट गया था। उसके द्वारा पुन: तहसील न्यायालय में त्रुटि सुधार के आवेदन देने पर पुन: उसका नाम चढ़ा । इस बीच शिकायत होने पर कलेक्टर के द्वारा लगभग 43 वर्ष की अवधि के बाद प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर तथा यह मानते हुये कि पट्टे का प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज नहीं होने से पट्टा संदेहास्पद है, भू-अभिलेखों में उसका नाम कम करने के आदेश पारित किये गये । उक्त आदेश की निगरानी, राजस्व मण्डल के द्वारा दिनांक 21-11-2011 को खारिज की गई थी । इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है ।<br>3/ आवेदक अभिभाषक के द्वारा उत्तर दिये गये कि कलेक्टर कार्यालय के रिकार्ड रूम की पंजी में पट्टे के संबंध | |

में स्पष्ट प्रविष्टि है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा उसके प्रकाश में उसके तर्को की पुष्टि होती है तथा उसको वर्ष 61 में जारी हुये पट्टे की भी पुष्टि होती है । अत: कलेक्टर की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है, अत: उसको निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा पूर्व आदेशों को उचित बताकर स्थिर रखते हुये पुनर्विलोकन निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ प्रकरण में संदर्भित आदेशों का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से कलेक्टर कार्यालय के ग्राम सिरोल के अभिलेख कक्ष की रजिस्ट्रेशन पंजी अनुक्रमांक पृष्ठ की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रविष्टि है कि प्रकरण क्रमांक 1182/61 जिसके द्वारा बलबंतसिंह पुत्र जहार सिंह एवं सरदारसिंह पुत्र बलबंतसिंह को आदेश दिनांक 24-11-1961 से पट्टा दिया गया था, संबंधी प्रकरण दिनांक 19-7-1962 को अभिलेख कक्ष में जमा हुआ ।

6/ कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने का मुख्य कारण वर्ष 1961 में आवेदक को जारी पट्टे के प्रकरण का दायरा पंजी में दर्ज नहीं होना था, इसी कारण उन्होंने पट्टे तथा उसके बाद की समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाहियों को कूटरचित/सन्देहास्पद कार्यवाही मानते हुये प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक की प्रविष्टि निरस्त करने का आदेश दिया । अब जबकि आवेदक के द्वारा स्वयं प्रयास करते हुये यह प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है कि वर्ष 1961 में उसे वास्तव में पट्टा जारी हुआ था तथा तत्समय में उक्त पट्टा वास्तविक रूप से था । अत: इससे यह प्रमाणित होता है कि कलेक्टर के द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने के पूर्व अभिलेखों की पूर्ण जॉच नहीं कराई गई, जबकि 43 वर्षो की लम्बी अवधि के बाद प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेते समय अपना पक्ष

प्रमाणित करने का भार स्वमेव निगरानी में लेने वाले प्राधिकारी का था ।

7/ उक्त नये तथ्य के प्रकाश में आवेदक के विरूद्ध कलेक्टर द्वारा की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही आधारहीन प्रमाणित होती है । फलस्वरूप यह पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-06-2007 एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-11-2011 निरस्त किये जाते हैं । अभिलेखों को पूर्वानुसार दुरूस्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

Noted
02/05/2019
Rajkumar Panwar (Adv)